न्यालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1042-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-3-16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ प्रकरण क्रमांक 276/B -121/11-12.

---

1. अनिल सेहवानी पुत्र नानकराम सेहवानी
   निवासी तहसील हुजूर जिला भोपाल
2. मेसर्स अलर्क बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स भोपाल
   द्वारा भागीदार सचिन अग्रवाल
   आत्मज श्याम मनोहर अग्रवाल
   निवासी 48, रामानंद नगर, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

सक्षम अधिकारी आदिम जाति
कल्याण विभाग, भोपाल .....अनावेदक

श्री योगन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/7/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ द्वारा पारित दिनांक 18-3-16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 276/B-121/11-12 में दिनांक 25-11-11 को आदेश पारित कर आवेदकगण एवं अन्य के आवेदन पत्र पर संहिता की धारा 131 के तहत ग्राम बडवाई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 418 पर राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके के आधार पर प्रस्तुत अक्स नक्शा स्वीकार किया जाकर खसरे के कॉलम नं. 12 में प्रश्नाधीन रास्ता का उल्लेख करते हुए राजस्व नक्शे में लाल स्याही डाट लाईन से रास्ता अंकित करने के आदेश दिये गये । दिनांक 18-3-16 को सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैरागढ़ वृत्त भोपाल को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बडवाई स्थित 7 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास हेतु विभाग को आवंटित की गई है, जिस पर भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है । इस भूमि से निजी संस्थान को सड़क निर्माण की अनुमति दी गई है, जो निरस्त किया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 25-11-11 के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी से चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18-3-16 को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार से उठाये गये है:-

(1) अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 25-10-11 के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 276/बी-121/11-12 में विधिवत आदेश पारित कर खसरे के मॉलम नं. 12 में रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया था । उक्त आदेश सार्वजनिक हितार्थ का होने के कारण उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है । इस तर्क के समर्थन में 2004 आर.एन. 284 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

(2) वर्ष 2007 में प्रश्नाधीन रास्ते को अवरूद्ध करने का प्रयास तथाकथित व्यक्तियों द्वारा किया गया था तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धित थाने को पत्र क्रमांक 1840/ए/ दिनांक 18-6-07 प्रेषित कर कार्यवाही को रूकवाया गया था । इससे भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन रास्ता सार्वजनिक प्रयोजन का होकर वर्तमान में भी विद्यान चली आ रही है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया है कि सर्वे क्रमांक 418 में से शासन ने वेष्टित भूमि का रकबा 7.34 एकड़ है, जिसमें से 0.34 एकड़ रास्ता

है और उक्त रास्ते की भूमि छोड़कर ही अनावेदक आदिम जाति कल्याण विभाग को भूमि आवंटित की गई है ।

(4) संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की कार्यवाही 90 दिवस के भीतर की जा सकती है, जबकि इस प्रकरण में 1825 दिन पश्चात पुनर्विलोकन की कार्यवाही की गई है, जो कि अवधि बाह्य है । इस तर्क के समर्थन में 2007आर.एन. 77 एवं 2007 आर.एन. 269 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

(5) संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व विरोध पक्ष को सुना जाना आवश्यक है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विरोधी पक्ष को नहीं सुना गया है । इस तर्क के समर्थन में 2009 आर.एन. 96 2010 (दो) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 115, 2000 आर.एन. 76 एवं 2005 आर.एन. 148 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

(6) वर्तमान में सर्वे क्रमांक 418 की भूमि भू-खण्ड के रूप में विकसित होकर रहवासी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं, जिसके सम्बन्ध में नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा अभिन्यास अनुमोदित किया गया है, जो अब रास्ता नगर पालिका निगम के अन्तर्गत आकर सार्वजनिक उपयोग हेतु विद्यान है, जिसे हटाने से सार्वजनिक हित प्रभावित होंगे ।

(7) नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में अभिन्यास स्वीकृत किया गया है, तब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी को ऐसे रास्ते के सम्बन्ध में कोई विवाद श्रवण करने की अधिकारिता नहीं है ।

(8) संहिता की धारा 51(1) में उल्लेखित आधारों में से कोई भी आधार वर्तमान प्रकरण में नहीं हैं, इस बिन्दु पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । इस तर्क के समर्थन में 2001 आर.एन. 290 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

2/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । मौखिक तर्क में उनके द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि सर्वे क्रमांक 418 रकबा 7.00 एकड़ भूमि अनावेदक को अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास के लिए शासन द्वारा आवंटित की गई है और उक्त भूमि से ही प्रश्नाधीन रास्ता दिया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में विधिसंगत कार्यवाही

की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने इस आधार पर कि भूमि आदिम जाति विकास विभाग को आबंटित हुई है, पुनर्विलोकन का प्रस्ताव तैयार कर अनुविभागीय अधिकारी को भेजा गया, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 18-3-16 द्वारा प्रभावित पक्षकारों को सुने बिना Non Speaking आदेश द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दी है, जबकि स्थापित न्यायिक सिद्धान्तों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व प्रभावति पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देना चाहिए था । अत: इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अपने अपने क्रमांक F-3-111/07/बत्तीस दिनांक 20-12-07 को राजस्व विभाग को जो आदिम जाति छात्रावास के लिए भूमि आरक्षण के आदेश दिये हैं, उसमें भी प्रश्नाधीन रास्ते के लिए भूमि छोड़ने का स्पष्ट उल्लेख है । पत्र के संलग्न नक्शे में भी रास्ता स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है । स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन की अनुमति मांगते समय तथा अनुमति देते समय तहसील न्यायालय तथा अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों का अवलोकन नहीं किया है । स्पष्ट है कि प्रकरण में पुनर्विलोकन का कोई औचित्यनहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18-3-16 निरस्त किया जाता है । तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 25-11-11 यथावत रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर